उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-46/2017/906/37-1-2017-3(21)/2016

लखनऊ:दिनाँक: 05 सितम्बर, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या-427/स्था0-3/34डी (4272), दिनाँक 26-07-2016 द्वारा डा0 पुष्पराज सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, खखरेरू, जनपद फतेहपुर के दिनाँक 15-4-2015 से 17-04-2015 तक एस0आई0टी0, ग्वालियर की अभिरक्षा में रहते हुए दिनाँक 18-04-2015 से दिनाँक 11-04-2016 तक सेन्टल जेल ग्वालियर में निरूद्ध रहने विषयक सूचना दी गयी है। डा0 पुष्पराज सिंह का उक्त कृत्य (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-4 में उल्लिखित व्यवस्था के विपरीत है।

2- अतएव डा0 पुष्पराज सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, खखरेरू, जनपद फतेहपुर को दिनाँक 15.104.2015 से 11.04.2016 तक पुलिस अभिरक्षा/सेन्टल जेल ग्वालियर में निरूद्ध रहने की अवधि में उन्हें एतदद्वारा साद्दश निलम्बित कर उनके विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली, 1999 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से योगदान कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- डा0 पुष्पराज सिंह, पशु चिकित्साधिकारी, खखरेरू, फतेहपुर के विरूद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही के संचालनार्थ डा0 अमरेन्द्र नाथ सिंह, निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को जाँच अधिकारी नामित किया जाता है।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या-46/2017/906(1)/37-1-2017, तददिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ।

2- निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग/जाँच अधिकारी को इस आशय से कि निर्धारित समय-सीमा के अन्दर जाँच पूर्णकर जाँच आख्या उपलब्ध करायें।

3- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद।

5- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, फतेहपुर।

6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, पशुपालन विभाग।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in